

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 35/2024-सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2024

सा.का.नि...(अ).- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की धारा 141 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सा.का.नि. संख्यांक 68(अ), तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2020 सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्र.सं. 2 के सामने, मद (viii) के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“(ix) अधिसूचना सं. 52/2003-सीमाशुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003 सा.का.नि. 274(अ), तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित” ।

2. यह अधिसूचना 24 जुलाई, 2024 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 334/03/2024-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 8/2020 सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 68(अ), तारीख 2 फरवरी, 2020, द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. संख्यांक 236(अ), तारीख 29 मार्च, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, अधिसूचना सं. 18/2023 सीमाशुल्क, तारीख 29 मार्च, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।